

पटना उच्च न्यायालय की अधिकारिता में

सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.-2325/2020

जितेंद्र प्रसाद शर्मा पुत्र राम प्यारे शर्मा निवासी-हसनपुरा रोड, नया महावीर कॉलोनी,
फुलवारी, पटना

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम्

1. मुख्य सचिव के माध्यम से बिहार राज्य।
2. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार।
3. पर्यावरण और वन विभाग के प्रधान सचिव, बिहार सरकार, पटना।
4. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष, बेलट्रॉन भवन, बेली रोड, पटना।
5. सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बेलट्रॉन भवन, बेली रोड, पटना।

..... प्रतिवादी/प्रतिवादीगण

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता के लिए	:	सुश्री अंजू मिश्रा, अधिवक्ता
उत्तरदाताओं के लिए	:	श्री सर्वेश कुमार सिंह(ए.ए.जी.13)
बोर्ड के लिए	:	श्री अभिमन्यु सिंह, अधिवक्ता

स्थापित कानूनी प्रस्ताव और सेवा न्यायशास्त्र के उल्लंघन के लिए राहत की मांग की गई—याचिकाकर्ता के वेतन का वितरण और अर्जित अवकाश और ग्रेच्युटी का वितरण उसकी बहाली के लिए अवैध रूप से हटाने पर—नियमितीकरण से पहले याचिकाकर्ता को हटा दिया गया था—उच्च न्यायालय ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को याचिकाकर्ता को बहाल करने का निर्देश दिया—सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की अवहेलना करते हुए लगाई गई शर्तें।

आदेश: न्यायालय के आदेश का उसकी सच्ची भावना में सम्मान किया जाना चाहिए—न केवल वेतन बल्कि लाभ—पीपीएफ का भुगतान और याचिकाकर्ता के वेतन से जुड़े अन्य सामाजिक कल्याण लाभों की गणना, अव्यक्त लाभों का भुगतान करने का निर्देश दिया गया—90 दिनों के भीतर।

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री डॉ. अंशुमान

मौखिक आदेश

तारीख: 05-04-2024

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विद्वान वकील और राज्य के विद्वान वकील को सुना।

2. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित राहत प्रदान करने के लिए दायर की गई है:-

क. शर्त संख्या को अपास्त/रद्द करने के लिए 1, 2 और 3 जैसा कि कार्यालय आदेश क्रमांक द्वारा लगाया गया है। 166 दिनांक 11/12/2018 जो कि स्थापित कानूनी प्रस्ताव और सेवा न्यायशास्त्र का सरासर उल्लंघन है

ख. प्रत्यर्थियों को याचिकाकर्ता के वेतन को 28/04/2003 से 08/01/2015 की अवधि के लिए वितरित करने का निर्देश देने के लिए, यानी, उसके अवैध निष्कासन से लेकर उसकी बहाली तक।

ग. याचिकाकर्ता को मई 2003 से 08/01/2015 तक ई.पी.एफ. का योगदान करने और उसका वितरण करने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश देने के लिए।

घ. याचिकाकर्ता को लागू होने वाले 6वें और 7वें वेतन संशोधन के साथ वेतन की गणना और वितरण करने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश देने के लिए।

ङ याचिकाकर्ता का मूल संगठन में उसकी प्रारंभिक नियुक्ति से उसकी सेवा अवधि की गणना के बाद अर्जित अवकाश और ग्रेच्युटी का वितरण करने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश देने के लिए।

च. प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता की पेंशन का भुगतान मूल संगठन में उसके आरंभिक पदभार ग्रहण करने से लेकर सेवा अवधि की गणना के पश्चात करने का निर्देश देने के लिए।

छ. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा उचित और आवश्यक समझे जाने वाले किसी अन्य उचित रिट/आदेश या निर्देश/निर्देशों को जारी करने के लिए।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता 20.12.1988 से अनुबंध के आधार पर प्रतिवादी-बोर्ड में शामिल हुआ है। वकील का कहना है कि उनके शामिल होने के दो साल बाद उन्हें कार्यालय आदेश संख्या 40 दिनांक 20.02.1991 के तहत तदर्थ आधार पर स्वीकृत रिक्त पद पर नियुक्त किया गया था। वकील ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि बोर्ड एक स्वतंत्र इकाई है, लेकिन इसने अपने स्वयं के सेवा नियम तैयार नहीं किए हैं और यह निर्णय लिया गया है कि बिहार राज्य के नियम बोर्ड के कर्मचारियों पर लागू होंगे। वकील ने प्रस्तुत किया कि बोर्ड की बैठक दिनांक 07.07.2001 और 12.02.2002 के 68वीं और 69वीं में याचिकाकर्ता को अन्य समान स्थिति वाले लोगों के साथ नियमित करने का निर्णय लिया गया था। लेकिन नियमितीकरण से पहले याचिकाकर्ता को दिनांक 28.04.2003 के आदेश के तहत सेवा से हटा दिया गया था। याचिकाकर्ता ने उक्त आदेश को इस माननीय न्यायालय के समक्ष

सीडब्लूजेसी संख्या 4568/2003 और उसके बाद एल.पी.ए. में चुनौती दी है। 2008 की संख्या 242। वकील ने कहा कि 2008 की एलपीए संख्या 242 में पारित दिनांक 19.07.2013 के आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता को सेवा से हटाने का आदेश रद्द कर दिया गया था और बोर्ड को विशेष रूप से याचिकाकर्ता और इसी तरह की स्थिति वाले अन्य व्यक्तियों को 28.04.2003 यानी समाप्ति की तारीख से बहाल करने का निर्देश दिया गया था। वकील ने आगे कहा कि बोर्ड ने 2008 की एलपीए संख्या 242 में पारित आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एसएलपी संख्या 29637/2013 में चुनौती दी थी, लेकिन उक्त एलपीए को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.12.2014 के आदेश के अनुसार खारिज कर दिया गया था और माननीय एलपीए पीठ द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की गई थी। वकील का कहना है कि आखिरकार कार्यालय आदेश संख्या 02 दिनांक 08.01.2015 के तहत याचिकाकर्ता की सेवाएं 28.04.2003 से उसी पद पर बहाल कर दी गईं। अधिवक्ता ने कहा कि यद्यपि याचिकाकर्ता की बहाली इसलिए की गई क्योंकि इस न्यायालय ने उनके निष्कासन को अवैध ठहराया था, लेकिन 28.04.2003 से 08.01.2015 तक की अवधि के लिए उनके वेतन और अन्य भत्ते का भुगतान नहीं किया गया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता की बहाली 2015 में 9300-4200-34400 के वेतनमान पर की गई थी, लेकिन उन्हें 4200 का ग्रेड वेतन देने से इनकार कर दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि कार्यालय आदेश संख्या 166 दिनांक 11.12.2018 के अनुसार याचिकाकर्ता की सेवाओं को अन्य समान स्थिति वाले व्यक्तियों(अनुलग्नक-4) के साथ नियमित किया गया था। अधिवक्ता ने कहा कि नियमितीकरण के उक्त पत्र में तीन शर्तें लगाई गई थीं और वे शर्तें इस माननीय न्यायालय के साथ-साथ भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना करने के लिए लगाई गई थीं। वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता ग्रच्युटी, अर्जित अवकाश, पीपीएफ राशि, 6वें और 7वें वेतन संशोधन के लाभ के लिए हकदार है। वकील ने आगे दलील दी कि विशेष रूप से शर्त संख्या II और शर्त संख्या III याचिकाकर्ता को आर्थिक लाभ से संबंधित सेवा के किसी भी दावे की मांग करने से रोकने के लिए लगाई गई थी। प्रतिवादी-बोर्ड द्वारा की गई कार्रवाई से सेवा की अवधि की भी उचित गणना नहीं की गई है और याचिकाकर्ता का वेतन निर्धारण गलत तरीके से किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को आर्थिक क्षति हुई है। वकील ने प्रस्तुत किया कि इस संबंध में याचिकाकर्ता ने बोर्ड के अध्यक्ष के साथ-साथ सदस्य सचिव के समक्ष भी

अभ्यावेदन दायर किया था और अंत में याचिकाकर्ता 31.10.2019 को बोर्ड से सेवानिवृत्त हो गया।

4. उनके अभ्यावेदन के आलोक में बिहार राज्य प्रदूषण पर्षद के सदस्य सचिव को जिम्मेदारी दी गयी है, जिसे अनुबंध-7 के रूप में संलग्न किया गया है। वकील का कहना है कि याचिकाकर्ता पूर्ण बकाया वेतन के भुगतान और बहाली के आदेश के बाद अपनी सेवा से जुड़े लाभों का हकदार है क्योंकि निष्कासन पत्र को रद्द कर दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप सेवा की निरंतरता बनी रही और कानून के अनुसार पिछला वेतन सामान्य नियम है। जयंतीभाई रावजीभाई पटेल बनाम नगर परिषद, नरखेड़ और अन्य के मामले में (2019) 17 सर्वोच्च न्यायालय मामलों 184 में रिपोर्ट की गई। पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि याचिकाकर्ता ऊपर उल्लिखित रिट याचिका में दी गई सभी राहतों का हकदार है।

5. राज्य के विद्वान वकील का कहना है कि जहां तक याचिकाकर्ता के वेतन और अन्य लाभों के भुगतान का सवाल है, राज्य का इस मामले में सीधे तौर पर कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रण में है और बोर्ड स्वतंत्र इकाई है। इस मामले में निर्णय लेने और इस माननीय न्यायालय के साथ-साथ भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन करने के लिए।

6. दूसरी ओर, बोर्ड के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता की सेवाओं को तीन शर्तों के साथ अनुलग्नक-14 के माध्यम से नियमित किया गया है, एक, दो और तीन पहले से ही अनुलग्नक-4 (ज्ञापन सं.2255 दिनांक 11.12.2018) में निहित उक्त पत्र में उल्लिखित हैं। वकील प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता को बहाली के बारे में राहत देने के समय, इस न्यायालय द्वारा पिछले वेतन के भुगतान के लिए कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। वकील प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर किए गए किसी भी अभ्यावेदन का उत्तर प्रतिवादी-बोर्ड द्वारा विधिवत दिया गया है, जो अनुलग्नक-7 में निहित है, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। वकील आगे प्रस्तुत करता है कि वह उसी निर्णय पर भी भरोसा कर रहा है जिस पर याचिकाकर्ता भरोसा कर रहा है और प्रस्तुत कर रहा है कि सेवा की निरंतरता और पिछले वेतन के भुगतान से संबंधित जवाब वापस मजदूरी के मुद्दे पर निर्णय लेते समय सवार के अधीन है। न्यायालय का न्यायनिर्णायक प्राधिकारी कर्मचारी/कर्मचारी की सेवा की अवधि, दुराचार की प्रकृति, यदि

कोई हो, जो कर्मचारी/कर्मचारी के खिलाफ साबित होती है, नियोक्ता की वित्तीय स्थिति और समान अन्य कारक। वकील आगे प्रस्तुत करता है कि प्रस्तुत की गई दलीलों के साथ-साथ जवाबी हलफनामे में की गई दलीलों के अनुसार कि याचिकाकर्ता की सेवा का नियमितीकरण केवल इस शर्त के साथ किया गया है कि उसे वापस मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाएगा और इस न्यायालय द्वारा पिछले वेतन का भुगतान करने के लिए कोई विशिष्ट निर्देश नहीं था; बल्कि केवल उक्त पत्र को हटाने को रद्द करने का निर्देश एल. पी. ए. न्यायालय में है जिसे बोर्ड द्वारा दायर एस. एल. पी. में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है।

7. पक्षकारों द्वारा की गई दलीलों के आलोक में और मामले के अभिलेखों के साथ-साथ उस निर्णय के अवलोकन पर, जिस पर पक्षकारों ने भरोसा किया, इस न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उठता है कि क्या एल. पी. ए. पीठ द्वारा किए गए निर्णय के आलोक में, याचिकाकर्ता रिट याचिका के राहत भाग में याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए सभी संलग्न लाभों के साथ पूरा वेतन प्राप्त करने का हकदार है या नहीं?

8. इस मुद्दे पर निर्णय लेने की दृष्टि से, उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ को उद्धृत करना आवश्यक है जिसमें इस माननीय न्यायालय ने उसी पर निर्णय लेना पसंद किया है और बोर्ड के हटाने के आदेश को रद्द करने के निर्देश को दरकिनार कर दिया गया है। आदेश का कार्यकारी भाग बिशुदेव तिवारी और अन्य बनाम के मामले में पारित किया गया।

2008 का सं. 242 इस प्रकार है:-

“25. इस संबंध में यह ध्यान दिया जा सकता है कि बोर्ड, भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य होने के अलावा, कानून का एक निर्माण भी है और एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय है जो बिना किसी बाहरी दबाव या प्रभाव के बोर्ड को नियंत्रित करने वाले कानून के अनुसार अपने दम पर कदम उठाने में सक्षम है। इसलिए, यदि कानून के प्रावधानों या कानून के तय किए गए सिद्धांतों के खिलाफ बोर्ड पर कोई बाहरी दबाव या प्रभाव डाला जाता है और इस तरह के

अधिनियम को अदालत के समक्ष लाया जाता है, तो इसे दरकिनार कर दिया जाना चाहिए। 2003 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं.4568 में पारित दिनांकित 03.03.2008 के विवादित आदेश में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा मामले के इन पहलुओं पर विचार नहीं किया गया है।

26. उक्त परिस्थितियों में, इस लेटर्स पेटेंट अपील की अनुमति दी जाती है, विवादित आदेशों को दरकिनार कर दिया जाता है और 2003 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं.4568 में अपीलकर्ताओं द्वारा दावा की गई राहतों को बोर्ड के दिनांकित 28.04.2003 के आदेश को रद्द करने और बोर्ड के अधिकारियों को 28.04.2003 से अपीलकर्ताओं को उनके संबंधित पदों पर बहाल करने का निर्देश देने की अनुमति दी जाती है।

27. चूंकि अपीलकर्ताओं द्वारा अपने वेतन के नियमितीकरण के लिए दायर 2003 की सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं.2148 वाली पिछली रिट याचिका पर योग्यता के आधार पर विचार नहीं किया गया था और याचिकाकर्ताओं के हटाने के आदेश दिनांक 28.04.2003 के कारण इसे 29.07.2004 पर निपटाया गया था, इसलिए अपीलार्थी या इसी तरह के किसी अन्य व्यक्ति को एक उपयुक्त मंच के समक्ष नियमितीकरण के लिए अपना दावा फिर से उठाने का अधिकार होगा।”

9. इसके बाद, माननीय एल. पी. ए. पीठ के उक्त आदेश को 2013 के एस. एल. पी. सं. 29637 में चुनौती दी गई है जिसे अंततः 18.12.2014 पर खारिज कर दिया गया था और बोर्ड ने कार्यालय आदेश सं.02 दिनांक 08.01.2015 जारी किया है जिसके द्वारा याचिकाकर्ता और अन्य की सेवाओं को 28.04.2003 (अनुलग्नक-3) से उनके

संबंधित पदों पर बहाल किया गया था। यह न्यायालय अनुलग्नक-5 के माध्यम से जाने पर कि याचिकाकर्ता का वेतनमान वर्ष 2018 में नियमितीकरण के बाद 11.12.2018 से तीन सवारियों के साथ निर्धारित किया गया था, जो इस प्रकार है:-

1. उपरोक्त कर्मियों की सेवा कार्यालय आदेश निर्गत होने की तिथि से नियमित समझी जाएगी।
2. पूर्व की कार्य अवधि के लिए किसी भी प्रकार का वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।
3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पारित आदेश के साथ पठित उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में पुनः योगदान की तिथि से सेवा अवधि की गणना की जायेगी।

जिस फैसले पर दोनों पक्षों ने भरोसा किया वह है जयंतीभाई रावजीभाई पटेल (ऊपर), उक्त अनुच्छेद का अनुच्छेद 14 फैसला इस प्रकार है:-

“14. न्यायालय ने पिछले वेतन के भुगतान को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए: (दीपाली गुंडू सुरवासे मामला [दीपाली गुंडू सुरवासे बनाम क्रांति जूनियर अध्यापक महाविद्यालय, (2013) 10 एस. सी. सी. 324:(2014) 2 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 184], एस. सी. सी. पीपी. 356-58, पैरा 38)

“ 38.1. गलत तरीके से सेवा समाप्त करने के मामलों में, सेवा की निरंतरता और पिछले वेतन के साथ बहाली सामान्य नियम है।

38.2.उपरोक्त नियम इस बात पर निर्भर करता है कि पिछले वेतन के मुद्दे पर निर्णय लेते समय, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण या अदालत कर्मचारी/कर्मचारी की सेवा की अवधि, कर्मचारी/कर्मचारी के खिलाफ साबित होने वाले कदाचार की प्रकृति, यदि कोई हो, नियोक्ता की वित्तीय स्थिति और इसी तरह के अन्य कारकों को ध्यान में रख सकती है।

38.3.आम तौर पर, एक कर्मचारी या कर्मचारी जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं और जो मजदूरी वापस पाने का इच्छुक है, उसे या तो अभिवचन करना चाहिए या कम से कम न्यायनिर्णायक प्राधिकरण या पहली बार की अदालत के समक्ष एक बयान देना चाहिए कि वह लाभकारी रूप से नियोजित नहीं था या कम मजदूरी पर नियोजित था। यदि नियोक्ता पूर्ण वेतन के भुगतान से बचना चाहता है, तो उसे यह साबित करने के लिए दलील देनी होगी कि कर्मचारी/कर्मचारी लाभकारी रूप से कार्यरत था और उसे सेवा की समाप्ति से पहले प्राप्त मजदूरी के बराबर मजदूरी मिल रही थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक स्थापित कानून है कि किसी विशेष तथ्य के अस्तित्व के प्रमाण का भार उस व्यक्ति पर होता है जो इसके अस्तित्व के बारे में सकारात्मक कथन करता है। नकारात्मक तथ्य को साबित करने की तुलना में सकारात्मक तथ्य को साबित करना हमेशा आसान होता है। इसलिए, एक बार जब कर्मचारी यह दिखा देता है कि वह नियोजित

नहीं था, तो नियोक्ता पर विशेष रूप से यह साबित करने की जिम्मेदारी होती है कि कर्मचारी 2020 डीटी का पटना उच्च न्यायालय सीडब्ल्यूजेसी सं.2325 था। लाभप्रद रूप से नियोजित और समान या काफी हद तक समान परिलब्धि प्राप्त कर रहा था।

38.4.जिन मामलों में श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 11-ए के तहत शक्ति का प्रयोग करता है और पाता है कि भले ही कर्मचारी/कर्मचारी के खिलाफ की गई जांच प्राकृतिक न्याय और/या प्रमाणित स्थायी आदेशों, यदि कोई हो, के नियमों के अनुरूप है, लेकिन यह मानता है कि सजा साबित किए गए कदाचार के अनुपात के विपरीत थी, तो उसे पूर्ण वेतन नहीं देने का विवेकाधिकार होगा।हालाँकि, यदि श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण यह पाता है कि कर्मचारी या कर्मचारी किसी भी कदाचार के लिए बिल्कुल भी दोषी नहीं है या नियोक्ता ने झूठा आरोप लगाया है, तो पूर्ण वेतन देने के लिए पर्याप्त औचित्य होगा।

38.5.जिन मामलों में सक्षम अदालत या न्यायाधिकरण यह पाता है कि नियोक्ता ने वैधानिक प्रावधानों और/या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन किया है या कर्मचारी या कर्मचारी को पीड़ित करने का दोषी है, तो संबंधित अदालत या न्यायाधिकरण पूर्ण वेतन के भुगतान का निर्देश देने में पूरी तरह से उचित होगा। ऐसे मामलों में, उच्च न्यायालयों

को संविधान के अनुच्छेद 226 या 136 के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए और श्रम न्यायालय आदि द्वारा पारित निर्णय में केवल इसलिए हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि कर्मचारी/कर्मचारी की पूर्ण वेतन प्राप्त करने की पात्रता या उसी का भुगतान करने के लिए नियोक्ता के दायित्व पर अलग राय बनाने की संभावना है। अदालतों को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि गलत तरीके से/अवैध रूप से सेवा समाप्त करने के मामलों में, गलत काम करने वाला नियोक्ता है और पीड़ित कर्मचारी/कर्मचारी है और नियोक्ता को पूर्ण वेतन के रूप में कर्मचारी/कर्मचारी को उसके बकाया का भुगतान करने के बोझ से राहत देकर उसके गलत कामों का प्रीमियम देने का कोई औचित्य नहीं है।

38.6. कई मामलों में, उच्च न्यायालयों ने इस आधार पर प्राथमिक न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के निर्णय में हस्तक्षेप किया है कि मुकदमेबाजी को अंतिम रूप देने में लंबा समय लगा है, इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि अधिकांश मामलों में पक्ष इस तरह की देरी के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। बुनियादी ढांचे और श्रमशक्ति की कमी मामलों के निपटारे में देरी का प्रमुख कारण है। इसके लिए वादियों को दोषी या दंडित नहीं किया जा सकता है। यह किसी कर्मचारी या कर्मचारी के लिए गंभीर अन्याय होगा यदि उसे केवल इसलिए मजदूरी वापस करने से इनकार कर दिया जाता है क्योंकि उसकी सेवा की

समाप्ति और 2020 के पटना उच्च न्यायालय सी. डब्ल्यू. जे. सी. के आदेश को दी गई अंतिमता के बीच लंबा समय बीत गया है। पुनर्स्थापना। अदालतों को यह ध्यान रखना चाहिए कि इनमें से अधिकांश मामलों में नियोक्ता कर्मचारी या कर्मचारी की तुलना में लाभप्रद स्थिति में है। वह पीड़ित यानी कर्मचारी या कर्मचारी की पीड़ा को बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ कानूनी मस्तिष्क की सेवाओं का लाभ उठा सकता है, जो एक निश्चित मात्रा में प्रसिद्धि के साथ एक वकील पर पैसा खर्च करने की विलासिता को वहन नहीं कर सकता है। इसलिए, ऐसे मामलों में हिंदुस्तान टिन वर्क्स (पी) लिमिटेड बनाम में सुझाए गए पाठ्यक्रम को अपनाना विवेकपूर्ण होगा। कर्मचारी[हिंदुस्तान टिन वर्क्स (पी) लिमिटेड बनाम कर्मचारी (1979) 2 एस. सी. सी. 80:1979 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 53]।”

10. यह इस न्यायालय को सूचित करता है कि एल. पी. ए. पर निर्णय लेते समय माननीय खंड पीठ ने बोर्ड के अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि वे अपीलार्थियों (याचिकाकर्ता सहित) को 28.04.2003 से उनके संबंधित पदों पर बहाल करें। इसका मतलब है कि याचिकाकर्ता को मजदूरी के भुगतान का अधिकार है क्योंकि इस न्यायालय द्वारा निष्कासन पत्र को रद्द कर दिया गया है और उन सभी लाभों को भी प्रदान करने का अधिकार है जिनके लिए याचिकाकर्ता उस विशेष तिथि से हकदार था और इसे जारी रखा जाना चाहिए। यह सच है कि याचिकाकर्ता को 28.04.2003 पर नियमित नहीं किया गया था, लेकिन बाद में 11.12.2018 पर नियमित किया गया था और उक्त पत्र (अनुलग्नक-4) में बोर्ड द्वारा जोड़ा गया दूसरा नियम इस माननीय न्यायालय द्वारा एल. पी. ए. में पारित निर्देशों का घोर उल्लंघन प्रतीत होता है और इसलिए, अनुलग्नक-4

(जापन सं. 2255 दिनांक 11.12.2018) में की गई शर्त-II को याचिकाकर्ता के लिए अलग रखा जाता है।

11. यह इस न्यायालय को यह भी बताता है कि एल. पी. ए. में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का उल्लंघन करते हुए फिर से शामिल होने की तारीख से गणना की गई सेवा की गणना भी की गई है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि याचिकाकर्ता और अन्य को 28.04.2003 से बहाल किया जाएगा। इसलिए, जापन सं.2255 दिनांक 11.12.2018 की शर्त-III को भी याचिकाकर्ता के लिए अलग रखने का निर्देश दिया जाता है।

12. इस न्यायालय को ध्यान में रखते हुए, एल. पी. ए. पीठ द्वारा पारित आदेश का उसकी सही भावना से सम्मान किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि न केवल वेतन बल्कि याचिकाकर्ता के वेतन से जुड़े पी. पी. एफ. और अन्य सामाजिक कल्याण लाभों के भुगतान जैसे लाभों की गणना करने और भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया है। प्रत्यर्थी-बोर्ड को यह स्पष्ट किया जाता है कि अन्य लाभों के भुगतान के लिए जो संलग्न हैं और जिनके लिए याचिकाकर्ता नियमित होने के बाद हकदार है, जिसके बारे में अभ्यावेदन दायर किया गया है और जिसके आधार पर अनुलग्नक-7 जारी किया गया है, उस पर नए सिरे से विचार किया जाना चाहिए। अनुलग्नक-7, अर्थात्, सं.1308 दिनांकित 19.10.2019 पत्र का इस न्यायालय का आदेश पारित करने के बाद कोई उपयोग नहीं होगा और इसलिए, इस पत्र (अनुलग्नक-7) को भी अलग कर दिया गया है। याचिकाकर्ता को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के साथ नए सिरे से अभ्यावेदन दायर करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें उन सभी लाभों की मांग की जाती है जिनके बारे में इस न्यायालय ने व्यक्त किया है और अन्य लाभ जिनके लिए याचिकाकर्ता हकदार नहीं है, लेकिन आज से चार सप्ताह के भीतर व्यक्त किया गया और प्रतिवादी संख्या 5, सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, को एतद्वारा निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता को 90 दिनों के भीतर स्पष्ट लाभ दिए जाएंगे और गैर-स्पष्ट लाभों पर वह उक्त अवधि के भीतर किए गए अभ्यावेदन के आलोक में निर्णय लेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि चुनाव को अधिसूचित कर दिया गया है, इसलिए 90 दिनों की अवधि की गिनती चुनाव के अंत से की जाएगी।

13. इस निर्देश के साथ, रिट याचिका की अनुमति दी गई।

(डॉ. अंशुमन, न्यायाधीश)

एमकेआर./-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।